

## कार्यालय:- नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद-गाजियाबाद

प्रमाणित किया जाता है कि निकाय के 55 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य वर्तमान में शतप्रतिशत किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान में निकाय के समस्त वार्डों में से 44 (80 प्रतिशत) वार्डों में कूड़ा पृथक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है।



अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)

**STAR RATING OF GARBAGE FREE CITIES**

☆☆☆☆☆  
**Swachh Bharat Mission (Urban)**  
*A Star Rating Programme for Making Cities Garbage Free*



# CERTIFICATE

Regional Centre for Urban and Environmental Studies,  
Lucknow hereby certifies that


District Name: - ..... **GHAZIABAD** .....

ULB Name: - ..... **LONI** ..... ULB Code: - ..... **800733** .....

has achieved all the required indicative components outlined under the  
**Protocol for Star Rating of Garbage Free Cities**  
and is being declared as

**GARBAGE FREE CITY 2 STAR**

Effective Date : **06.01.2019** .....

  
**Er. A.K. Gupta**  
Additional Director  
RCUES, Lucknow

  
**Anurag Yadav,**  
I.A.S.  
State Mission Director,  
Swachh Bharat Mission (Urban),  
Uttar Pradesh

स्वच्छता स समाद्ध को आर-हमारा लोनी, गाजियाबाद

:: स्वच्छ भारत ::

:: स्वच्छ उत्तर प्रदेश ::

:: स्वच्छ लोनी ::

कार्यालय:- नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद- गाजियाबाद

पत्रांक संख्या-~~नी.पो~~ / न0पा0प0 / 2017-18

दिनांक 16-11-2017

**:: आवश्यक सूचना ::**

नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्र के समस्त नागरिकों/व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निकाय क्षेत्र के 55 वार्डों में " स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत डोर-डू-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु प्रत्येक वार्ड में एक ट्रैक्टर घर जाकर कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है, तथा आप अपने घरों में दो डस्टबिन रखें, जिसमें 1-नीले में सूखा कूड़ा 2-हरे में गीला कूड़ा एकत्रित करें तथा निकाय के ट्रैक्टर में कूड़ा डालें।

अतः इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के अन्दर अपने-अपने घरों में डस्टबिन रखें तथा कूड़े को रोड आदि पर न डालें, यदि आप द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना भी वसूला जायेगा। सूचित हो।

अधिसासी अधिकारी/प्रशासक  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
गाजियाबाद

पत्रांक एवं दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि- सम्पादक, 1- दैनिक जागरण, गाजियाबाद 2- हिन्दुस्तान गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि आप उपरोक्त सूचना को अपने शीघ्र प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अधिसासी अधिकारी/प्रशासक  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी(गाजियाबाद)

कृपया अवगत कराना है कि ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत कोई भी प्लान्ट स्थापित नहीं है, इसके निस्तारण हेतु आर्यन ग्रुप द्वारा चार कबाड़ियों से अनुबन्ध किया गया है, जिसके अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। कूड़े को पृथकीकरण कार्य के पश्चात जो कूड़ा बचता है, उसे डर्पिंग प्वाइन्ट (खत्ता) पर डाला जाता है।

निरीक्षक  
परिषद् लोनी

अवर अभियन्ता / नोडल अधिकारी  
स्वच्छ भारत मिशन  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 490492

### इकरारनामा

प्रथम पक्ष-मेसर्स आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेस लोनी गाजियाबाद

द्वितीय पक्ष- रिजवान पुत्र मुनने

निवासी-76 जी ब्लॉक बुध नगर चॉद मस्जिद के पास, लोनी देहात गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201102

1-प्रथम पक्ष द्वारा सूखा कूड़ा प्राप्त कराएगा जिसका समस्त विवरण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों के पास उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

2-प्रथम पक्ष द्वारा जो भी सूखा कूड़ा द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा (कांच प्लास्टिक आदि) पृथक किया जायेगा।

3-द्वितीय पक्ष द्वारा जितना भी सूखा कूड़ा (जैसे कांच प्लास्टिक आदि) विक्रय किया जाएगा उसका दस प्रतिशत प्रथम पक्ष को प्राप्त कराएगा।

4-अवशेष बचे हुए अपशिष्ट को प्रथम पक्ष द्वारा उसे फिर से लैण्डफिल साइट पर ले जाया जाएगा।

5-कूड़े का पृथक्करण आबादी से दूर किया जायेगा।

6-किसी भी विवाद में सम्बन्धित तहसील का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

प्रथम पक्ष

ARYAN GROUP OF GUARD SERVICES

PROPRIETOR

ATTEST  
GOVT OF INDIA  
NOTARY PUBLIC  
GHAZIABAD  
K CHAND

द्वितीय पक्ष  
रिजवान



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 490489

### इकरारनामा

प्रथम पक्ष-मेसर्स आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेस लोनी गाजियाबाद

द्वितीय पक्ष- सुभाष साव पुत्र सुरेन्द्र साव

निवासी-समेयगढ न0-5 पटना बिहार -803306

1-प्रथम पक्ष द्वारा सूखा कूड़ा प्राप्त कराएगा जिसका समस्त विवरण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों के पास उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

2-प्रथम पक्ष द्वारा जो भी सूखा कूड़ा द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा कांच प्लास्टिक आदि) पृथक किया जायेगा।

3-द्वितीय पक्ष द्वारा जितना भी सूखा कूड़ा (जैसे कांच प्लास्टिक आदि) विक्रय किया जाएगा उसका दस प्रतिशत प्रथम पक्ष को प्राप्त कराएगा।

4-अवशेष बचे हुए अपशिष्ट को प्रथम पक्ष द्वारा उसे फिर से लैण्डफिल साइट पर ले जाया जाएगा।

5- कूड़े का पृथक्करण आबादी से दूर किया जायेगा।

6-किसी भी विवाद मे सम्बन्धित तहसील का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

ARYAN GROUP OF GUARD SERVICES

PROPRIETOR

ATTESTED  
GOVERNMENT OF INDIA  
NOTARY PUBLIC  
GHAZIABAD U.P.  
K CHAND

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

सुभाष साव